

आपदा के कारण घटित दुर्घटना जैसे- अतिवृष्टि/बाढ़/आगजनी/पानी के तेज बहाव/आंधी तूफान/आकाशीय बिजली इत्यादि में हुई क्षति के लिए एसडीआरएफ (SDRF) मद से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र/अग्रेषण पत्र मैं मनजी पुत्र/पत्नी/पति जोग्या जाति मीरा निवासी वाडा मासुडा ग्राम पंचायत मासुडा पटवार मण्डल मासुडा पंचायत समिति राणी तहसील राणी जिला बांसवाड़ा का हूँ दिनांक 16/08/2023 को घटित प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति के लिये निम्नानुसार आवेदन /निवेदन करता हूँ :-

" भाग -अ" परिवार के सदस्यों का विवरण अंकित करें

क्र.स.	सदस्यों के नाम	आयु	परिवार के मुखिया से संबंध	व्यवसाय
1	<u>मनजी</u>	<u>54</u>	<u>स्वयं</u>	<u>कृषि</u>
2	<u>पान्क</u>	<u>53</u>	<u>पत्नी</u>	<u>शुद्धी</u>
3	<u>कमलेश</u>	<u>19</u>	<u>बेटा</u>	<u>—</u>
4	<u>कवरी</u>	<u>20</u>	<u>बेटा</u>	<u>—</u>
5				
6				

" भाग -ब" मृत्यु/घायल के मामलों में भरा जाना

क्र.स.	विवरण	अंकित किये जाने वाले विवरण
1	घटना की दिनांक	
2	घटना स्थल	
3	घटना की प्रकृति	
4	मृत/घायल व्यक्ति का नाम, आयु एवं पूर्ण पता	
5	मृत/घायल व्यक्ति का व्यवसाय	
6	दुर्घटना का परिणाम मृत/गंभीर/साधारण घायल	
7	घटना के कारण आंख, हाथ, पैर, आदि की स्थायी रूप से क्षति हुई है तो विवरण अंकित करें	
8	घटना के कारण चिकित्सालय में भर्ती होने का विवरण अंकित करें	
9	आवेदनकर्ता का नाम पूर्ण पता	
10	मृत्यु के मामलों में मृतक से आवेदक का संबंध में	
11	आवेदक का मोबाईल नंबर	

नोट:-

1. प्राकृतिक आपदा का अभिप्राय बाढ़/अतिवृष्टि के कारण मजान बह जाने/आगजनी के कारण मृत्यु/घायल एवं पानी के तेज बहाव में बह जाना है। यह ज्ञान होते हुए भी कि नदी/नाला/गुल/रफट पर अत्यधिक पानी एवं तेज बहाव है, पार करने पर घटित दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु का लाभ देय नहीं है।
2. मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र/एफ.आई.आर. इत्यादि संलग्न किया जाना आवश्यक है।

घायी/साधारण घायल के मामले में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें क्षति का प्रतिशत उल्लेखित हो एवं चोट प्रतिवेदन संलग्न किया जाना आवश्यक है।

- गंभीर होने के मामले में चिकित्सालय में भर्ती होने व छुट्टी होने की तिथि बाबत प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
- प्रत्येक मामले में संबंधित पटवारी का मौका पर्चा संलग्न किया जाना आवश्यक है साथ ही परिवार का राशन कार्ड भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

" भाग -स" क्षतिग्रस्त मकान के मामले में भरा जाना

क्र.स.	मकान (कच्चा/पक्का/झोपडी) अंकित करें	क्षति का विवरण (पूर्ण/गंभीर/आंशिक) अंकित करें	मकान क्षति की अनुमानित राशि	घटना की दिनांक व (वर्षा एम0एम)	प्राकृतिक घटना का कारण
1	कच्चा	पूर्ण	95,000/-	16/08/2022	अतिवृष्टि

नोट:-

- आगजनी के मामले में पुलिस में दर्ज रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता या कनिष्ठ अभियन्ता के अभाव में तकनीकी सहायक द्वारा मकान का क्षति मूल्यांकन प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
- मकान का अधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र या मकान पट्टा एवं मकान पूर्ण क्षति होने पर एक मकान होने का प्रमाण पत्र संबंधित पटवारी या ग्राम सचिव द्वारा जारी कर लगाया जाना आवश्यक है।

" भाग -द" पशु क्षति के मामले में भरा जाना

क्र.स.	पशुओं का प्रकार	कृषक/पशु पालक के पास उपलब्ध कुल पशुओं की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	मृत पशुओं का अनुमानित मूल्य	दुर्घटना की दिनांक	प्राकृतिक दुर्घटना का कारण
1	2	3	4	5	6	7
(अ)	दुधार पशु					
1	मेंस					
2	नाव					
3	ऊँटनी					
4	मैंड					
5	बकरी					
(ब)	अदुधार पशु					
1	ऊँट					
2	बैल/सांड					
3	घोड़ा					
4	बछड़ा					
5	गधा					

नोट :-

- प्रत्येक मृत पशु के मामले में पशु चिकित्सक द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- पटवारी का मौका पर्चा संलग्न किया जाना आवश्यक है।

आपदा (अतिवृष्टि, बाढ़, आकाशीय बिजली गिरना, आगजनी, आंधी, तूफान आदि)

खेत में खड़ी फसल की क्षति पर ही सहायता देय है

(मकान, खलियान एवं बाड़े में क्षतिग्रस्त फसल पर देय नहीं)

आवेदनकर्ता खातेदार के पास उपलब्ध कृषि खाते कि भूमि का विवरण
कृषक की श्रेणी (लघु/सीमांत आदि)

पटवार मंडल	तहसील	खाता संख्या	कुल रकबा (हेक्टर में)	
			सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5

फसल क्षति का विवरण (हेक्टर)

क्र. स.	सिंचित क्षेत्र	दिये जाने वाला विवरण	असिंचित क्षेत्र	दिए जाने वाला विवरण
1.	बोई गई फसल (रकबा है, में)		बोई गई फसल (रकबा है, में)	
2.	फसल क्षति (रकबा है, में)		फसल क्षति (रकबा है, में)	
3.	खसरा नंबर जिसमें क्षति हुई		खसरा नंबर जिसमें क्षति हुई	
4.	क्षति कि अनुमानित राशि		क्षति कि अनुमानित राशि	

नोट :- जमाबन्दी एवं खसरे की नकल संग्रहण किया जाना आवश्यक है

मैं मन्नी पुत्र/पत्नी/पति मन्नी जाति मन्नी
निवासी मन्नी (वाट) का होकर यह घोषणा करता हु कि प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त
सूचना सही एवं सत्य है

मन्नी
हस्ताक्षर/अंगूठा प्रार्थी

पटवारी रिपोर्ट

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों की पुष्टि कि जाकर नियमानुसार
सी.आर.एफ मद से सहायता राशी स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा कि जाती है पर्याप्त एवं
अपेक्षित/प्रमाणित प्रति संलग्न है

मन्नी
हस्ताक्षर पटवारी हलका

अनुशंसा/अग्रोषा प्रपत्र

क्रमांक:-

मूल प्रार्थना पत्र उपरोक्त दस्तावेज के साथ जिला कलेक्टर (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता)
बांसवाड़ा को अग्रोषित करते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों कि
भली भांति जाँच पड़ताल करा ली गई है / कर ली गई है तथा उक्त घटना प्राकृतिक आपदा कि

मौका पत्र

आज दिनांक 16/08/22 को ग्राम माडलडा में
दिनांक 16/08/22 को भारी वर्षा होने से श्री मन्जी
पांडा जाति श्री निवासी माडलडा
का मकान कच्चा/पक्का आंशिक/पूर्ण गिर गया मौके पर मोतबिरानो के
रुबरु मौका पर्चा तैयार कर जिसका आनुमानित नुकसान 9,5,000/-
हुआ है।

अतः मौके पर पर्चा तैयार कर पढ़ कर सुनामा व
हस्ताक्षर अंगूठे करवाये।

स/मन्जी
सरपंच
ग्राम पंचायत माडलडा
पं.स.गद्दी जि.बाँसवाड़ा (राज.)

श्रीकेश

लालजी

श्रीकेश

सुरजलाल

कान्तिनलाल

मन्जी

16/08/22
माडलडा
पं.स.गद्दी जि.बाँसवाड़ा (राज.)

अवगण क्षति का मूल्यांकन प्रमाण पत्र

दिनांक 22/08/2022 को मेरे जन्म गांव वारा-मादल्या के श्री महजी
खैरा खरीरा पिता खैरा खरीरा जाते भील के
अवगण का मूल्यांकन जोके पर किया गया निम्नानुसार क्षति पाई
गई:-

1. सफ़ी ~~खैरा~~ केलु टुट गयी है। डाण्डे टुट गये है।
पाट व इरतले व रिबड़िया सफ़ी टुट गयी है।
2. दिवार टुट गयी है।
3. बकरी व गाय की क्षति पहुँची है।

* मुल्यांकन राशि *

95,000.00/-


हस्ताक्षर
(गजेन्द्र भारती गोस्वामी)
तकनीकी सहायक
पंचायत समिति गढ़ी

आधार

मास्का

गरी

दिनांक

दिनांक

आधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनजी पिता

चौधरी निवासी वाथ मास्का ग्राम पंचायत मास्का तहसील

गरी का मकान ग्राम वाथ मास्का में बना हुआ है।

इनके मकान का "आधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है।

गरी

विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत मास्का
जि.वासवाड़ा (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला.....(राज0) :-

क्रमांक:

दिनांक:

- :: मकान का अधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र ::-

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पिता/पत्नी.....निवासी.....
का मकान ग्राम पंचायत.....तहसील.....में बना हुआ था। इनका मकान गांव.....में बना
हुवा था इसका " प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी,

ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....

-:: एक मकान होने का प्रमाण पत्र ::-

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पिता/पत्नी.....निवासी.....
ग्राम पंचायत.....तहसील.....जिला बांसवाड़ा का यह एक मात्र मकान है। इसके अलावा
इनका कोई अन्य मकान नहीं है। जो अतिवृष्टि/भारी वर्षा/आगजनी से पूर्ण रुप से क्षतिग्रस्त हो चुका है।

ग्राम विकास अधिकारी,

ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....